वाणिज्यिक पेपर (सीपी) जारी करने के लिए दिशानिर्देश पर मास्टर परिपत्र
30 जून 2006 तक संशोधित

परिचय

सीपी कौन जारी कर सकता है

रेटिंग आवश्यकताएँ

परिपक्वता

मूल्यवर्ग

सीपी जारी करने की सीमाएं और राशि

कौन हो सकता है आईपीए

सीपी में निवेश

निर्गम का तरीका

डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म के लिए अधिमानता

सीपी का भुगतान

स्टैंड-बाय सुविधा

निर्गम की प्रक्रिया

भूमिका और जिम्मेदारियां

प्रलेखन प्रक्रिया

सीपी बाजार में चूक

कतिपय अन्य निदेशों का लागू नहीं होना

अनुसूची I

अनुसूची II

अनुसूची III

अनुलग्नक I

अनुलग्नक II

परिशिष्ट

परिचय

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) एक प्रतिभूति-रहित मुद्रा बाजार लिखत है जो एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। सीपी, एक निजी तौर पर रखे गए लिखत के रूप में, 1990 में भारत में पेश किया गया था ताकि उच्च रेटेड कॉर्पोरेट उधारकर्ता अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता ला सकें और निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत प्रदान किया जा सके। इसके बाद, प्राथमिक डीलरों, सैटेलाइट डीलरों* और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को भी सीपी जारी करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने परिचालन के लिए अपनी अल्पकालिक निधीयन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सीपी जारी करने के लिए दिशा-निर्देश वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित विभिन्न निदेशों द्वारा शासित होते हैं,। आज तक जारी किए गए सभी संशोधनों को शामिल करते हुए सीपी जारी करने के लिए दिशानिर्देश त्वरित संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं।

---

*सैटेलाइट डीलरों की प्रणाली 1 जून 2002 से बंद कर दी गई है।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) कौन जारी कर सकता है?

2. कॉरपोरेट, प्राथमिक डीलर (पीडी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एफआई) जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समवेशी सीमा के तहत अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे सीपी जारी करने के लिए पात्र हैं।

3. कॉर्पोरेट सीपी जारी करने के लिए पात्र होगा बशर्ते: (क) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, कंपनी का मूर्त निवल मूल्य 4 करोड़ रुपये से कम नहीं है।; (ख) कंपनी को बैंकों अथवा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है; और (ग) कंपनी के उधार खाते को वित्तपोषक बैंकों/संस्थाओं द्वारा मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रेटिंग आवश्यकताएँ

4. सभी पात्र प्रतिभागियों को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमि. (CRISIL) या भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी लिमिटेड (ICRA) या ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड (CARE) या फिच रेटिंग्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या ऐसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना होगा। न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल की पी-2 या अन्य एजेंसियों द्वारा ऐसी समकक्ष रेटिंग होगी। जारीकर्ता सीपी जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार प्राप्त रेटिंग वर्तमान है और उसकी समीक्षा नियत नहीं है।

परिपक्वता

5. सीपी निर्गम की तारीख से न्यूनतम 7 दिनों और अधिकतम एक वर्ष तक की परिपक्वता के लिए जारी किया जा सकता है। सीपी की परिपक्वता तिथि उस तारीख से आगे नहीं जानी चाहिए जिस तक जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग वैध है।

मूल्यवर्ग

6. सीपी को 5 लाख रुपये के मूल्यवर्ग या उसके गुणकों में जारी किया जा सकता है। एकल निवेशक द्वारा निवेश की गई राशि रु. 5 लाख (अंकित मूल्य) से कम नहीं होनी चाहिए।

सीपी जारी करने के लिए सीमाएं और राशि

7. सीपी को "स्टैंड अलोन" उत्पाद के रूप में जारी किया जा सकता है। जारीकर्ता से सीपी की कुल राशि उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा या निर्दिष्ट रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा इंगित मात्रा, जो भी कम हो, के भीतर होगी। तथापि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास सीपी सहित कंपनियों के वित्तपोषण के संसाधन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजी सीमा निर्धारित करने की छूट होगी।

8. एक एफआई आरबीआई द्वारा निर्धारित समग्र समवेशी सीमा के भीतर सीपी जारी कर सकता है, यानी, सीपी सहित अन्य लिखतों जैसे सावधि धन उधार, सावधि जमा, जमा प्रमाण पत्र और अंतर-कॉर्पोरेट जमा का निर्गम, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. निर्गम के लिए प्रस्तावित सीपी की कुल राशि उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटाई जानी चाहिए जिस दिन जारीकर्ता अभिदान लेना प्रारंभ करता है। सीपी एक ही तारीख को या अलग-अलग तारीखों पर भागों में जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि बाद के मामले में, प्रत्येक सीपी की एक ही परिपक्वता तिथि होगी।

10. नवीनीकरण सहित सीपी के हर निर्गम को एक नए निर्गम के रूप में माना जाना चाहिए।

निर्गमकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में कौन कार्य कर सकता है

11. सीपी जारी करने के लिए केवल एक अनुसूचित बैंक आईपीए के रूप में कार्य कर सकता है।

सीपी में निवेश

12. सीपी को व्यक्तियों, बैंकिंग कंपनियों, भारत में पंजीकृत या निगमित अन्य कॉर्पोरेट निकायों और अनिगमित निकायों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को जारी किया जा सकता है और उनके द्वारा धारित किया जा सकता है। हालांकि, एफआईआई द्वारा निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उनके निवेश के लिए निर्धारित सीमा के भीतर होगा।

जारी करने का तरीका

13. सीपी को सेबी द्वारा अनुमोदित और उसके साथ पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी के माध्यम से या तो वचन पत्र (अनुसूची 1) के रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में जारी किया जा सकता है।

14. सीपी को जारीकर्ता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाएगा।

15. कोई भी निर्गमकर्ता सीपी के निर्गम को अवलिखित या सह-स्वीकृत नहीं करेगा।

डिमटेरियलाइज़ (अभौतिकीकरण) को प्राथमिकता

16. जबकि जारीकर्ताओं और अभिदाता दोनों के लिए सीपी को **डिमटेरियलाइज़** या भौतिक रूप में जारी करने/ रखने का विकल्प उपलब्ध है, जारीकर्ताओं और अभिदाता को डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में निर्गम/ धारिता पर अनन्य निर्भरता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, 30 जून 2001 से बैंकों, एफआई और पीडी को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में नए निवेश करने और सीपी को रखने की आवश्यकता है।

सीपी का भुगतान

17. सीपी में प्रारंभिक निवेशक सीपी के बट्टागत मूल्य का भुगतान आईपीए के माध्यम से जारीकर्ता के खाते में क्रॉस्ड एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से करेगा। सीपी की परिपक्वता पर, जब सीपी को भौतिक रूप में धारण किया जाता है, तो सीपी का धारक आईपीए के माध्यम से जारीकर्ता को भुगतान के लिए लिखत प्रस्तुत करेगा। हालांकि, जब सीपी को डीमैट रूप में रखा जाता है, तो सीपी के धारक को इसे डिपॉजिटरी के माध्यम से भुनाना होगा और आईपीए से भुगतान प्राप्त करना होगा।

स्टैंड-बाय सुविधा

18. सीपी के एक 'स्टैंडअलोन' उत्पाद होने के मद्देनजर, सीपी के जारीकर्ताओं को स्टैंड-बाय सुविधा प्रदान करना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं होगा। तथापि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास उनके व्यावसायिक निर्णय के आधार पर और उनके बोर्डों के विशिष्ट अनुमोदन के साथ सीपी निर्गम के लिए स्टैंड-बाय सहायता/ऋण, बैक-स्टॉप सुविधा आदि के माध्यम से ऋण वृद्धि, प्रदान करने की छूट है, जो यथालागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन है।

19. कॉरपोरेट सहित गैर-बैंक संस्थाएं सीपी निर्गम हेतु क्रेडिट वृद्धि के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी भी प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते :

(i) जारीकर्ता सीपी जारी करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है;

(ii) गारंटीकर्ता के पास जारीकर्ता की तुलना में अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया कम से कम एक स्तर अधिक का क्रेडिट रेटिंग है; और

(iii) सीपी के लिए प्रस्ताव दस्तावेज में गारंटर कंपनी के निवल मालियत, उन कंपनियों के नामो, जिन्हें गारंटर ने समान गारंटी जारी की है, गारंटर कंपनी द्वारा दी गई गारंटी की सीमा, और किन शर्तों के तहत गारंटी लागू की जाएगी, का उचित रूप से खुलासा किया गया है।

जारी करने की प्रक्रिया

20. प्रत्येक जारीकर्ता को सीपी जारी करने के लिए एक आईपीए नियुक्त करना होगा। जारीकर्ता को संभावित निवेशकों को मानक बाजार प्रथाओं के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा करना चाहिए। निवेशक

और जारीकर्ता के बीच सौदे की पुष्टि के आदान-प्रदान के बाद, जारीकर्ता कंपनी निवेशक को भौतिक प्रमाण पत्र जारी करेगी या सीपी को डिपॉजिटरी के साथ निवेशक के खाते में जमा करने की व्यवस्था करेगी। निवेशकों को इस आशय के आईपीए प्रमाण पत्र की एक प्रति दी जाएगी कि जारीकर्ता का आईपीए के साथ एक वैध समझौता है और दस्तावेज sसही हैं (अनुसूची II)।

भूमिका और जिम्मेदारियां

21. जारीकर्ता, जारी और भुगतान करने वाले एजेंट (एलपीए) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नवत निर्धारित की गई हैं:

(क) जारीकर्ता

सीपी जारी करने की क्रियाविधियों में सरलीकरण के साथ, जारीकर्ताओं के पास अब अधिक लचीलापन होगा। तथापि, जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीपी जारी करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों और क्रियाविधियों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(ख) जारीकर्ता और भुगतान करने वाला एजेंट (आईपीए)

(i) आईपीए यह सुनिश्चित करेगा कि जारीकर्ता के पास आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है और सीपी जारी करने के माध्यम से जुटाई गई राशि, सीआरए द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग के लिए निर्धारित या उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मात्रा, जो भी कम हो के भीतर है,।

(ii) आईपीए को जारीकर्ता द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों, जैसे, बोर्ड के संकल्प की प्रति, अधिकृत निष्पादकों के हस्ताक्षर (जब सीपी भौतिक रूप में है) को सत्यापित करना होता है और एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि दस्तावेज सही हैं। इसे यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि इसका जारीकर्ता (अनुसूची III) के साथ एक वैध करार है।

(iii) आईपीए द्वारा सत्यापित मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां आईपीए की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए।

(iv) सीपी के प्रत्येक निर्गम की सूचना मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग (एफएमडी), भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जानी चाहिए।

(v) आईपीए, जो एनडीएस सदस्य हैं, को निर्गमित सीपी के ब्यौरे को उसकी पूर्ति की तारीख से दो दिनों के भीतर एनडीएस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए।

(vi) इसके अतिरिक्त, एनडीएस रिपोर्टिंग आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार स्थिर हो जाने तक आईपीए के रूप में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंक निर्गम पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर पूर्व की भांति अनुसूची II के अनुसार ब्यौरे शामिल करते हुए सीपी जारी करने के ब्यौरे की रिपोर्ट करना जारी रखेंगे, होंगे।

(ग) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए)

(i) पूंजी बाजार लिखतों की रेटिंग के लिए सीआरए के लिए सेबी द्वारा निर्धारित आचार संहिता सीपी की रेटिंग के लिए उन पर (सीआरए) लागू होगी।

(ii) इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जारीकर्ता के सामर्थ्य के बारे में अपनी धारणा के आधार पर रेटिंग की वैधता अवधि निर्धारित करने का विवेक होगा। तदनुसार, सीआरए रेटिंग करते समय स्पष्ट रूप से उस तिथि को इंगित करेगा जब रेटिंग की समीक्षा की जानी है।

(iii) जबकि सीआरए क्रेडिट रेटिंग की वैधता अवधि तय कर सकते हैं, उन्हें नियमित अंतराल पर जारीकर्ता के ट्रैक रिकॉर्ड की तुलना में जारीकर्ताओं को प्रदान की गई रेटिंग की बारीकी से निगरानी करनी होगी और उन्हें अपने प्रकाशनों और वेबसाइट के माध्यम से रेटिंग में अपना संशोधन सार्वजनिक करना होगा।

प्रलेखन प्रक्रिया

22. फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) आरबीआई के परामर्श से सीपी बाजार के परिचालनगत लचीलेपन और सुचारू कामकाज के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप किसी भी मानकीकृत प्रक्रिया और प्रलेखन को निर्धारित कर सकता है, जिसका प्रतिभागियों द्वारा पालन किया जाना है। जारीकर्ता/आईपीए इस संबंध में फिम्डा (एफआईएमएमडीए) द्वारा 5 जुलाई 2001 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।

23. इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसमें संस्था को सीपी बाजार से प्रतिबंधित करना भी शामिल हो सकता है।

सीपी बाजार में चूक (डिफ़ॉल्ट)

24. सीपी के विमोचन में चूक की निगरानी करने के लिए, अनुसूचित बैंक जो आईपीए के रूप में कार्य करते हैं, को सलाह दी जाती है कि वे सीपी के पुनर्भुगतान में चूक होने पर, उसके पूर्ण विवरण की सूचना तत्काल वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई को अनुबंध I में दिए गए प्रारूप में दें।

कतिपय अन्य निदेशों की अप्रयोज्यता

25. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाओं की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में निहित कुछ भी किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर लागू नहीं होगा, जहां तक कि यह इन दिशानिर्देशों के अनुसार सीपी जारी करके जमा की स्वीकृति से संबंधित है।

26. दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों के विवरण अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुसूची I

जिस राज्य में इसे जारी
किया जाएगा, उस राज्य में
लागू स्टाम्प लगाया जाए

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

क्रम सं.

जारी किया गया स्थान :---------- जारी करने की तारीख : ----------

(स्थान)

परिपक्वता की तारीख :---------- छूट के दिनों के बिना।

(यदि ऐसी तारीख को अवकाश पड़ता है तो भुगतान ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस को किया जाएगा)

प्राप्त मूल्य के लिए ---------- एतदद्वारा

(जारीकर्ता कंपनी/ संस्था का नाम)

(निवेशक का नाम)

ऊपर निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि को ---------- (शब्दों में) रुपये की राशि इस वाणिज्यिक पत्र की ----------
---------- को (जारी और भुगतान करने वाले एजेंट का नाम)

प्रस्तुति और समर्पण पर ---------- की ओर से
और उसके लिए

(जारी करने वाली कंपनी/संस्था का नाम)

भुगतान करने का वादा करती है।

प्राधिकृत प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षरकर्ता

इस वाणिज्यिक पेपर पर सभी पृष्ठांकन स्वच्छ और स्पष्ट होने चाहिए।

प्रत्येक पृष्ठांकन आवंटित स्थान के भीतर लिखा जाना चाहिए।

---------- नामित राशि भुगतान करें या आदेश दें

-(हस्तांतरिती का नाम

के लिए और उनकी ओर से ----------

(हस्तांतरणकर्ता का नाम)

---

1. “
2. “
3. “
4. “
5. “
6. “
7. “
8. “

अनुसूची II

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता द्वारा

प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रोफार्मा

(एफएमडी, आरबीआई, मुंबई को सीपी का निर्गम पूरा होने के 3 दिनों के भीतर जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति :

मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400001

के माध्यम से: (आईपीए का नाम)

महोदय,

वाणिज्यिक पत्र जारी करना

रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2003 को जारी वाणिज्यिक पत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमने निम्नवत दिए गए विवरण के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी किया है:

I.	जारीकर्ता का नाम				
II.	पंजीकृत कार्यालय और पता				
III.	व्यावसायिक गतिविधि				
IV.	स्टॉक एक्सचेंज का/के नाम जिनके साथ : जारीकर्ता के शेयर सूचीबद्ध हैं (यदि लागू हो)				
V.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार मूर्त निवल मालियत मूल्य				
VI.	कुल कार्यशील पूंजी सीमा				
VII.	बकाया बैंक उधार				
VIII.	(क) जारी वाणिज्यिक पत्र का विवरण (अंकित मूल्य)	निर्गम की तिथि	परिपक्वता तिथि	राशि	दर

	(ख) वर्तमान निर्गम सहित बकाया सीपी की राशि (अंकित मूल्य)।	
IX.	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) या रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त रेटिंग	i. ii. iii.
X.	क्या सीपी निर्गम के संबंध में स्टैंडबाय सुविधा प्रदान की गई है?	
XI.	यदि हाँ,	
	क. स्टैंडबाय सुविधा की राशि	रुपये करोड
	ख. किसने प्रदान की (बैंक/ एफआई)	
XII.	क्या सीपी निर्गम के संबंध में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की गई है?	
XIII.	यदि हाँ,	
XIV.	क. गारंटी की राशि	रुपये करोड
	ख. किसने प्रदान की (गारंटर का नाम)	
	ग. गारंटर की क्रेडिट रेटिंग	
XV.		

की ओर से

(जारीकर्ता का नाम)

शेड्यूल III

प्रमाणपत्र

----------के साथ (कंपनी/ संस्था का नाम)

हमारा एक वैध आईपीए करार है

2. हमने ----------

(संबंधित जारी करने वाली कंपनी/संस्था का नाम)

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित किया है, जैसे, बोर्ड संकल्प और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र और प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज सही हैं। मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हमारी अभिरक्षा में रखे गए हैं।

3.* हम इसके द्वारा यह भी प्रमाणित करते हैं कि रुपये ----------(रुपये ----------) के लिए संलग्न वाणिज्यिक पत्र क्रम संख्या ---------- दिनांक ----------

के निष्पादकों के हस्ताक्षर

(शब्दों में)

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

द्वारा दायर नमूना हस्ताक्षरों के साथ मेल खाते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता)

(जारी और भुगतान करने वाले एजेंट का नाम और पता)

स्थान

दिनांक

* (भौतिक रूप में सीपी पर लिए लागू)

अनुलग्नक I

सीपी के पुनर्भुगतान पर चूक का विवरण

जारीकर्ता का नाम	सीपी जारी करने की तिथि	राशि	चुकौती की नियत तारीख	प्रारम्भिक रेटिंग	वर्तमान रेटिंग	क्या सीपी निर्गम में स्टैंडबाय असिस्टेंस/ क्रेडिट बैक स्टॉप सुविधा/गारंटी थी	यदि हां, तो कॉलम 7 में दर्शाइ gai सुविधा प्रदान करने वाली संस्था का नाम	क्या कॉलम (7) में सुविधा का भुगतान किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुबंध II

परिभाषाएँ

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो तब तक इन दिशानिर्देशों में :

(ए) बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी या उसके क्रमशः खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में परिभाषित किया गया " नया प्रतिनिधि बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" है और उस अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित "सहकारी बैंक" शामिल है।

(बी) "अनुसूचित बैंक" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक है।

(सी) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एफआई)" का अर्थ उन वित्तीय संस्थाओं से है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जहां लागू हो, समवेशी सीमा के भीतर विशिष्ट रूप से सावधि धन, सावधि जमा, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कॉर्पोरेट जमा के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है,।

(डी) "प्राथमिक डीलर" से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसके पास समय-समय पर यथा संशोधित 29 मार्च, 1995 के सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिक डीलर के रूप में प्राधिकार का वैध पत्र है।

(ई) "कॉरपोरेट" या "कंपनी" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45I (एए) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है, लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जिसे इस समय लागू किसी कानून के तहत बंद किया जा रहा है।

(एफ़) "गैर-बैंकिंग कंपनी" से बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी अभिप्रेत है।

(जी) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45I (एफ) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

(आई) "कार्यशील पूंजी सीमा" से कुल सीमाएं अभिप्रेत हैं, जिनमें निम्नलिखित सीमाएं भी शामिल हैं: कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक या अधिक बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत बिलों की खरीद/बट्टे पर भुनाई।

(जे)कंपनी के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार "मूर्त निवल मालियत से प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियाँ (शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियाँ और कोई अन्य आरक्षित निधि शामिल है जो भविष्य की किसी देयता के पुनर्भुगतान के लिए या परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास के लिए या खराब ऋणों या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों के लिए नहीं बनाई जा रही है) से अभिप्रेत है। जो संचित हानि के शेष स्थगित राजस्व व्यय के शेष, साथ ही अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की मात्रा से कम हो जाता है।

(के) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में प्रयुक्त लेकिन यहां परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उस अधिनियम में दिया गया है।

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	दिनांक	विषय
1.	आईईसीडी.संख्या.पीएमडी.15/87 (सीपी)-89/90	3 जनवरी 1990	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करना)
2.	आईईसीडी.संख्या.पीएमडी.19/87 (सीपी)-89/90	23 जनवरी 1990	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करना)
3.	आईईसीडी.संख्या.पीएमडी.28/87 (सीपी)-89/90	24 अप्रैल 1990	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन।
4.	आईईसीडी.संख्या.पीएमडी.1/08.15.01/93-94	2 जुलाई 1990	फैक्टरिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश
5.	आईईसीडी.संख्या.पीएमडी.2/87 (सीपी)-90/91	7 जुलाई 1990	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - मौजूदा निर्गम का नवीकरण.
6.	6. आईईसीडी.संख्या.पीएमडी.57/87 (सीपी)-90/91	30 मई 1991	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
7.	आईईसीडी.संख्या 16/पीएमडी/87 (सीपी)-91/92	20 अगस्त 1991	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करना
8.	आईईसीडी.संख्या 39/पीएमडी/87 (सीपी)-91/92	20 दिसम्बर 1991	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
9.	आईईडीसी.संख्या 49/सीसी&एमआईएस/87/91-92	7 फरवरी 1992	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करना – रिटर्न आदि प्रस्तुत करना
10.	आईईडीसी.संख्या 63/08.15.01/91-92	13 मई 1992	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
11.	आईईडीसी.संख्या 34/08.15.01/92-93	19 मई 1993	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) – स्टाम्प ड्यूटी लागू करना
12.	आईईडीसी.संख्या 13/08.15.01/93-94	5 अक्तूबर 1993	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
13.	आईईडीसी.संख्या 17/08.15.01/93-94	18 अक्तूबर 1993	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देश में संशोधन
14.	आईईडीसी.संख्या 25/08.15.01/93-94)	17 दिसम्बर 1993	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करना
15.	आईईडीसी.संख्या 19/08.15.01/94-95	20 अक्तूबर 1994	वाणिज्यिक पेपर - स्टैंड बाय अरेंजमेंट
16.	आईईडीसी.संख्या 28/08.15.01/95-96	20 जून 1996	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) –

17.	आईईडीसी.संख्या 3/08.15.01/96-97	25 जुलाई 1996	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
18.	आईईडीसी.संख्या 14/08.15.01/96-97	5 नवम्बर 1996	वाणिज्यिक पेपर
19.	आईईडीसी.संख्या 25/08.15.01/96-97	15 अप्रैल 1997	वाणिज्यिक पेपर
20.	आईईडीसी.संख्या14/08.15.01/97-98	27 अक्तूबर 1997	वाणिज्यिक पेपर
21.	आईईडीसी.संख्या43/08.15.01/97-98	25 मई 1998	वाणिज्यिक पेपर
22.	एमपीडी.48/07.01.279/2000-01	6 जुलाई 2000	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
23.	आईईसीडी. संख्या 15/08.15.01/2000-01	30 अप्रैल 2001	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
24.	आईईडीसी.संख्या2/08.15.01/2001-02	23 जुलाई 2001	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
25.	आईईडीसी.संख्या11/08.15.01/2002-03	12 नवम्बर 2002	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
26.	आईईसीडी संख्या 19/08.15.01/2002-03	30 अप्रैल 2003	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
27.	आईईसीडी. संख्या /08.15.01/2003-04	19 अगस्त 2003	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
28.	एमपीडी. संख्या 251/07.01.279/2004-05	1 जुलाई 2004	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
29.	एमपीडी. संख्या 258/07.01.279/2004-05	26 अक्तूबर 2004	वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश
30.	एमपीडी. संख्या 261/07.01.279/2004-05	13 अप्रैल 2005	वाणिज्यिक पत्र (सीपी) की रिपोर्टिंग-एनडीएस प्लैटफ़ार्म पर निर्गम